

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की तारीख
में जारी है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – श्री महावीर प्रसाद नायक (आर.ए.एस.)

- उनवान
- 1 आनन्द सिंह पिता देबी सिंह हजूरी उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
 - 2 देवअभिमन्यु सिंह पिता देबी सिंह हजूरी उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
 - 3 पवन देव पिता देबी सिंह हजूरी उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

(प्रार्थीगण)

- बनाम
1. भोपाल सिंह पिता केशर सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी सुल्तानगढ तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
 2. मिसरी पिता देबी खारोल उम्र वयस्क निवासी खारोलिया खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
 3. बदामी पिता हुक्मा खारोल उम्र वयस्क निवासी खारोलिया खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
 4. मनभर पिता हुक्मा खारोल उम्र वयस्क निवासी खारोलिया खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
 5. टीना कंवर पत्नि भंवर प्रताप सिंह शेखावत उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
 6. अलादीन खां पिता सरदार मोहम्मद पठान उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
 7. अमीर खां पिता सरदार खां पठान उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
 8. आजाद बानु बेवा बाबु खां पठान उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
 9. अमर वहीद खां पिता बाबु खां पठान उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा- डिलीट
 10. नन्हें खां पिता समन्द खां पठान उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
 11. भैरूलाल पिता देवा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
 12. देबीलाल पिता देवा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
 13. कल्याण पिता देवा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
 14. मांगी पुत्री देवा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
 15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री कृष्ण कुमार जीनगर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

:: निर्णय ::

दिनांक - 10.04.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 18.01.2019 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सुल्तानगढ पटवार मण्डल सुल्तानगढ भू0अ0नि0 सरदारनगर तहसील बनेड़ा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 134 के आ0न0 864, 1423, 1425 कुल किता 03 कुल रकबा 11-03 बीघा भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 18.01.2019 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 10.04.2019 को विपक्षी क्रम 09 को छोड़कर शेष समस्त विपक्षीगणों को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये, विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरुद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी क्रम 09 का सम्मन, अदम तामील लौटकर प्राप्त, इस पर अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा नियत सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी क्रम 09 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर इसका अंकन कर हस्ताक्षर किये गये। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी क्रम 09 का नाम डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सुल्तानगढ पटवार मण्डल सुल्तानगढ भू0अ0नि0 सरदारनगर तहसील बनेड़ा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 134 के आ0न0 864, 1423, 1425 कुल किता 03 कुल रकबा 11-03 बीघा भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक सरदारनगर को 1200/-रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। यह आदेश आज दिनांक 10.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद नायक)